न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :–35/2014

उनवान

1. हीरा पुत्र पीता (फौत)
1/1. दुर्गा पत्नी हीरा
1/2. ईश्वर
1/3. प्रताप
1/4. उगमी
1/5. सीता पि0 हीरा जाति रावत नि0 ग्राम बिठुर, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. तीजी देवी पत्नी मिट्ठु,
2. कुलदीप पुत्र मिटु
3. प्रभु सिंह पुत्र मादू,
4. मंजू पुत्री मादू,
5. हीरा पुत्र रामा जाति रावत नि0 ग्राम बिठुर, नसीराबाद,
6. नीर मौ0 पुत्र बादर खां,
7. कमाल खान पुत्र लाल मौ0 जाति मेहरात नि0 बिठुर नसीराबाद
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
9. मैनेजर, एस.बी.आई. शाखा मांगलियावास, नसीराबाद
10. उप पंजीयक, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 3, 4, 5, 7 जरियें अधिवता श्री केलाश बीजावत

11. रतन पुत्र मोती (फौत)
11/1. सुरजा पत्नी रतन जाति रावत नि0 ग्राम बिठुर, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 18.6.24

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के वंर्किग खसरा नम्बर 868 रकबा 4–0–0 हाल खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.30 व 1083 रकबा 0.34 की आराजी के मूल खातेदार मादू, मिठु, हीरा पुत्र रामा जाति रावत थे। उनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 22.02.1978 को हीरा व मोती पि. पीथा को बैचान कर दी। केता व विकेता की मुत्यु हो गयी जिसके वारिस अप्रार्थीगण है तथा केता हीरा स्वयं प्रार्थी है। उक्त आराजी प्रार्थी की कयशुदा होने के बावजूद अप्रार्थीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गयी। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के दखलदांजी कर रहे है तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1082 व 1083 अप्रार्थी कमाल खान द्वारा क्रय कर लिये गयेहे तथा अप्रार्थी कमाल खा उक्त आराजी पर काबिज व राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। वादी ने उक्त आराजी का वाद अत्यधिक विलम्ब से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नही कर वाद में प्रस्तुत जवाब को ही स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 868 रकबा 4–0–0 की आराजी मादू व मिठु पि0 रामा न माली, हीरा पि. पिथा को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1978 को बेचान कर दी। क्रेता व विक्रेता की मुत्यु हो गयी जिसके वारिस अप्रार्थीगण है तथा क्रेता हीरा स्वयं प्रार्थी है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी पर विक्रेता मादू, हीरा व मिठु पुत्र रामा के नाम दर्ज है। मादू के वारिसान द्वारा भी उक्त आराजी अन्यत्र बेचान कर दी है तथा उक्त बैचान के आधार पर वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज कर दी है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 हीरा बनाम प्रभु में आराजी मुतनाजा पर दिनाक 21.02.15 को आदेश पारित कर उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का बेचान नही करने हेतु पाबंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण आराजी क्रय नही की गयी है। किन्तु उनके द्वारा सह खातेदार मादू व मिठु से उक्त आराजी क्रय करना प्रतित होता है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है। किन्तु प्रार्थी का विक्रय पत्र पूर्व का है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की क्रयशुदा है। अप्रार्थी संख्या 7 को भूमि का बैचान बाद में किया गया है। यदि व्यादेश जारी नही किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम ग्राम बिठुर के की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1082 रकबा 0. 30 व 1083 रकबा 0.34 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद